न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी – भारती गुप्ता (आरएएस)

दावा संख्या– 293/2022 दर्ज तिथि :– 07.12.2022

1. अशोक कुमार पुत्र स्व. मिट्ठन सिंह उम्र 55 साल
2. कमलसिंह पुत्र स्व. मिट्ठन सिंह उम्र 53 साल
   जातियान जाटव निवासीयान–बसंत विहार कॉलौनी भरतपुर
3. सीमा बेबा विजयपाल सिंह पुत्र मिट्ठन सिंह उम्र 42 साल
4. सुमन पुत्री विजयपाल सिंह उम्र 20 साल
5. काजल पुत्री विजयपाल सिंह उम्र 15 साल
6. पायल पुत्री विजयपाल सिंह उम्र 13 साल

   नाबालिगान जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता सीमा पत्नी विजयपाल
7. पदमसिंह पुत्र स्व. मिट्ठन सिंह उम्र 47 साल
8. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. मिट्ठन सिंह उम्र 45 साल
   जातियान जाटव निवासीयान सूरजपोल गेट बाहर भरतपुर (राज.)
9. सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. मिट्ठन सिंह उम्र 42 साल जाति जाटव निवासी– विकास नगर भरतपुर
10. सरोज पुत्री स्व. मिट्ठन सिंह पत्नी परवेन्द्र सिंह उम्र 57 साल जाति जाटव निवासी–सूरजपोल गेट बाहर भरतपुर हाल निवासी– बर्रा कॉलौनी मकान नं. 313, कानपुर (उ.प्र.)

.....वादीगण

बनाम

1. पूरन सिंह पुत्र स्व. श्री लक्ष्मन सिंह
2. बलवीर सिंह पुत्र स्व. श्री लक्ष्मन सिंह
   जातियान जाट निवासीयान–ग्राम बराखुर तहसील व जिला भरतपुर हाल निवासी–गम्भीर सिंह एडवोकेट के मकान के पास, संजय नगर भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर (राज.)
3. नगर सुधार न्यास भरतपुर जरिये सचिव नगर सुधार न्यास भरतपुर (राज.)

.....प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. वसिलसिले मुकदमा नम्बर 293/2022 उनवानी अशोक कुमार वगै. बनाम पूरन सिंह वगै.

आदेश

दिनांक :–17.04.2026

आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सूक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी प्रतिवादी पूरनसिंह वगै. ने मय अधिवक्ता उपस्थित होकर 06.09.2023 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. इस आशय का पेश किया की वादीगण ने उक्त दावा न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी मिट्ठन सिंह के वारिसान वादी संख्या 1 लगायत 10 ने साविक खसरा नम्बर 1892 मिन रकवा 2

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

बीघा 05 विस्वा एवं खसरा नम्बर 1892 मिन रकवा 1 बीघा 05 विस्वा वाकै चक नम्बर 2 भरतपुर हाल चक नम्बर 3 भरतपुर के बने हाल खसरा नम्बरान 677 रकवा 13 ऐयर, 678/3272 रकवा 5 ऐयर वाकै चक नम्बर 3 भरतपुर की बावत् दावा केवल प्रतिवादीगण लक्ष्मनसिंह के वारिसान के विरूद्ध दायर किया है। जबकि श्री लक्ष्मनसिंह के प्रतिवादीगण प्रार्थीयान के अलावा चार लडकियां किरनदेई, गोमा, लक्ष्मी, सुकन और थीं जिनमें से किरनदेई का देहांत हो गया है जिसके वारिस बच्चू सिंह, पप्पू, मानसिंह थे जिनमें से मानसिंह का भी देहांत हो गया है। मानसिंह के लडका प्रीतम सिंह का भी देहान्त हो गया है जिसके वारिस हरिओम व दिगम्बर है। जिनको कि दावा हाजा में पक्षकार नहीं बनाया गया है।

इस प्रकार दावा में नॉन जोईन्डर ऑफ पार्टीज का सिद्धान्त लागू है और दावा कानूनन चलने योग्य नहीं है। दावा हाजा में केवल तीन पक्षकार यानि प्रार्थीयान एवं नगर सुधार न्यास, भरतपुर को पक्षकार बनाया है, जबकि दावा की चरण संख्या 3 की पॉचवी लाईन में धारा 90 बी. एल. आर. एक्ट के तहत प्रतिवादी संख्या 9 के नाम दर्ज होना लिखा है जबकि दावा में तीन ही प्रतिवादी है। इसी प्रकार दावा की चरण संख्या 8 में लाईन नम्बर 2 व 3 में हाल आराजी खसरा नम्बर 677 रकबा 13 ऐयर व 678/3272 रकवा 5 ऐयर पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के पिता लक्ष्मनसिंह के नाम दर्ज करना लिखा है, जबकि दावा में लक्ष्मनसिंह के वारिस प्रतिवादी गैरसायल संख्या 1 व 2 को ही पक्षकार बनाया है तथा 3 लगायत 8 कौन वारिस है न तो नाम दर्ज हैं और न ही दावा में पक्षकार बनाया है और दावा में प्रतिवादी संख्या 3 नगर सुधार न्यास को पक्षकार बनाया है। इससे दावा में प्रोपर पार्टी नहीं बनाये गये हैं और लक्ष्मनसिंह के सभी वारिसान को पक्षकार बनाये बिना दावा व मेन्टेनेबिल नहीं है। दावा की चरण सख्या 11 में 90 बी एल. आर. एक्ट आराजी खसरा नम्बर 677 को प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज करना बताया है और अपील संख्या 130/2006 के द्वारा संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा निरस्त करना बताया है परन्तु संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर ने दिनांक 10.10.2007 को जो फैसला दिया था उसमें अपील को आंशिक स्वीकार किया था और पुनः सुनवाई हेतु रिमांड की थी और निर्देशित किया था कि पक्षकारान को सुनकर समुचित अवसर देकर एवं मौका देखकर पुनः गुणावगुण निर्णय पारित करे जो आज तक पारित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा मामला रेस सबज्युडिस होने के कारण मेनटेनिविल नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 नगर सुधार न्यास भरतपुर ने आराजी खसरा नम्बर हाल 677 का ले आउट प्लान पास कर दिया है और आराजी नगर सुधार न्यास भरतपुर के नाम दर्ज हो चुकी है इस कारण राजस्व न्यायालय को वाद हाजा सुनने का अधिकार नहीं है और दावा मेनटेनिविल नहीं हैं। वादीगण ने दावा इस्तकरार हक व घोषणा का नगर सुधार न्यास भरतपुर के विरूद्ध दायर किया है।

नगर सुधार न्यास अधिनियम की धारा 98 के तहत नगर सुधार न्यास भरतपुर के विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक था। बिना नोटिस दिये दावा नगर सुधार न्यास भरतपुर के विरूद्ध दायर करने के कारण दावा वादीगण मेनटेनिविल नहीं है। वादीगण ने दावा हाजा चरण संख्या 12 की बावत विनाय मुखासमत दिनांक 02.12.2022 को प्रतिवादीगण द्वारा धमकी देने पर लिखा है जबकि दावा में केवल प्रतिवादी सख्या 1 व 2 ही है। प्रतिवादी सख्या 3 लगायत 8 का कोई पक्षकार न होने के कारण कोई दावा की विनाय मुखासमत पैदा नहीं होती है और इस आधार पर भी दावा मेनटेनिविल नहीं हैं। दावा हाजा का प्रोपर गठन नहीं है नकल अर्जीदावा से प्रतीत होता कि सभी वादीगण ने हस्ताक्षर नहीं किये है और केवल एक ही वादी ने सभी के हस्ताक्षर कर दिये हैं। प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण मय खर्चा खारिज किया जावे।

इसका प्रत्युत्तर वादीगण ने इस आशय से पेश किया की वादीगण ने उक्त दावा न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि वादीगण द्वारा लक्ष्मन सिंह के वारिसान के विरूद्ध दावा दायर किया है। जानकारी के अभाव में यह स्वीकार नहीं है कि प्रतिवादीगण के अलावा लक्ष्मनसिंह के चार पुत्रियां किरनदेई, गोमा, लक्ष्मी, सुकन और हो, किरनदेई के देहान्त के बाद वारिस बच्चूसिंह, पप्पू, मानसिंह, आदि हो जिनमें से

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

मानसिंह का भी देहान्त हो गया है। मानसिंह के लडके पीतम का भी देहान्त हो गया हो। जिसके वारिसान हरीओम व दिगम्बर हो जिनको दावा में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। क्योंकि इससे पूर्व दावा वादीगण के पिता मिट्टन सिंह द्वारा प्रतिवादीगण के पिता लक्ष्मनसिंह के विरूद्ध दावा संख्या 13/2015 पेश किया गया था। उसमें प्रतिवादी लक्ष्मन सिंह की मृत्यु के बाद दिनांक 15.12. 2020 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा आदेश 1 रूल 10 जा.दी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया था जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा केवल अपने आपको (मौजूदा प्रतिवादीगण) को वारिसान बतलाया गया था अन्य वारिसों के नाम का उल्लेख उक्त प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया इसलिए वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध ही दावा पेश किया गया है। अब वादीगण की जानकारी में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा लक्ष्मनसिंह के वारिसानों का उल्लेख किया गया है जिसके लिए पृथक से वादीगण द्वारा आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है जिसमें सभी वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। आदेश 7 नियम 11 के किसी भी प्रोवीज़ो में नॉन जोईन्डर ऑफ पार्टीज का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। जिसके आधार पर दावा खारिज किया जा सके।

दावा की मद संख्या 3 की पांचवी लाईन में धारा 90 बी एल. आर. एक्ट प्रतिवादी संख्या 9 टाईपिंग मिस्टेक से हो गया है। जबकि वह 9 होकर 3 है। इसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 समझा जावे एंव इसी प्रकार दावाा की चरण संख्या 8 की तीसरी लाईन में टाईपिंग मिस्टेक से आराजी खसरा नम्बर 677 रकवा 13 ऐयर 678/3272 रकवा 5 ऐयर पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 टाईपिंग मिस्टेक से लिख गया है जिसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 होना है। दावा में 3 लगायत 8 कोई वारिस नहीं है और ना ही दावा में उन्हें पक्षकार बनाया है। दावा में प्रतिवादी संख्या 3 नगर सुधार न्यास को पक्षकार बनाया है प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को पूर्व के दावा संख्या 13/15 उनवानी मिट्ठनसिंह बनाम लक्ष्मनसिंह वगै० में प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 15.12.2020 आदेश 1 नियम 10 के प्रार्थना पत्र में स्वंय को लक्ष्मनसिंह का एक मात्र वारिस होना बताया है और शपथ पत्र भी पेश किया है इसलिए वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा पूर्व में शपथ पत्र पर अदालत के समक्ष मिथ्या साक्ष्य पेश किया है। प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र दिनांक 15.12. 2020 की सत्यप्रति संलग्न जबाब प्रार्थना पत्र है। अतः इस बिन्दु के आधार पर आपत्ति स्वीकार नहीं है। दावा की चरण संख्या 11 में 90वी एलआर एक्ट आराजी खसरा नम्बर 677 के साथ 678/3272 लिखना टाईपिंग मिस्टेक से रह गया है जिसके लिए पृथक से आदेश 6 नियम 17 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है एंव सम्भागीय आयुक्त भरतपुर महोदय द्वारा अपने आदेश में 90बी के कार्यवाही के आदेश को अपास्त किया जा चुका है। उसके बाद विवादित आराजी खसरा नम्बर की पूर्व की स्थिति हो जाती है इस आधार पर यह आपत्ति स्वीकार नहीं है। रेस सबज्युडिस का सिद्धान्त यहां लागू नहीं होता है।

प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उक्त खसरा नम्बर 677, 678/3272 चक नं. 3. भरतपुर का कोई ले आउट प्लान आज तक जारी नहीं किया गया है सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के आदेश दिनांक 10.10.2007 के द्वारा 90बी की कार्यवाही को निरस्त कर दिया गया है। वादीगण आज भी उक्त आराजी पर कब्जे काश्त कर खेती कर रहे है। उक्त आराजी राजस्थान के एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत आती है जिसको राजस्व न्यायालय द्वारा सुनने का पूर्ण अधिकार हासिल है।

दावा में प्रतिवादी संख्या 3 नगर सुधार न्यास भरतपुर एक फोरमल पार्टी है जिसके विरुद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई है। इसलिए नगर सुधार अधिनियम की धारा 98 के तहत किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया है। धारा 98 के तहत नोटिस देना एक प्रोसीजर की कार्यवाही है मैन्डेटरी नहीं है। बिनाय मुखासमत 14.05.2012 से दिनांक 02.12.2022 को प्रतिवादीगण द्वारा धमकी देने से पैदा हुआ है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में लाईन नं. 3 प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 टाईपिंग मिस्टेक से हो

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

गया है उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पढा जावे। जिसके लिए पृथक से आदेश 6 नियम 17 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

सभी वादीगण ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये है। प्रतिवादीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा०दी० प्रस्तुत किया गया है कि मौजूदा दावा चलने योग्य नहीं है और उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के किसी भी प्रोवीजों में नहीं आता है। प्रतिवादीगण के द्वारा अभी जबाब दावा पेश नहीं किया है जबाब दावे में प्रतिवादीगण को सभी आपत्तियां लेने का अधिकार हांसिल है। जबाब दावे के आधार पर तनकी कायम की जावेगी तनकीयों में अगर कोई तनकी है तो वह पहले तय की जावेगी लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियां तथ्य एवं कानूनी के मिश्रित बिन्दुओं पर आधारित है आदेश 7 नियम 11 के किसी भी प्रोवीजों में प्रार्थना पत्र नहीं आता है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण काबिल खारिजी के है।

एक दावा मिट्टन सिंह के द्वारा लक्ष्मन सिंह वगैराह के विरूद्ध दावा सख्या 13/2015 उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की अदालत में पेश किया गया था जिसमें लक्ष्मण सिंह की मृत्यु होने पर एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा दिनांक 15.12.2020 को पेश किया था जिसमें लक्ष्मनसिंह के दो ही वारिस प्रतिवादीगण बतलाये थे इसी आधार पर पूर्व के दावे के विड्रो होने के बाद मौजूदा दावा पेश किया गया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। अन्य पक्षकार की वादीगण को कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पेश होने पर अन्य वारिसान की जानकारी वादीगण को प्रतिवादीगण से हुई है इसलिए वादीगण के द्वारा आदेश 1 नियम 10 जा.दी. के तहत लक्ष्मनसिंह के अन्य वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाने की कार्यवाही की जा रही है। नॉन जोईन्डर व मिस जोईन्डर के आधार पर दावा खारिज नहीं होता है। नॉन जोईन्डर व मिस जोईन्डर का आधार आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधानों के तहत नहीं आता है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण काबिल खारिजी के है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र महज तंग व परेशान करने की गरज से पेश किया है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के किसी भी प्रोवीजो के अन्तर्गत नहीं आने से खारिज होने योग्य है अतः जबाब प्रार्थना पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. प्रतिवादीगण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर उभयपक्ष अभिभाषकों की बहस सुनी गई दौराने बहस प्रतिवादीगण/प्रार्थी ने अपने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वारिस हरिओम व दिगम्बर है। जिनको कि दावा हाजा में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस प्रकार दावा में नॉन जोईन्डर ऑफ पार्टीज का सिद्धान्त लागू है और दावा कानूनन चलने योग्य नहीं है। वादीगण ने अपने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नॉन जोईन्डर व मिस जोईन्डर के आधार पर दावा खारिज नहीं होता है। नॉन जोईन्डर व मिस जोईन्डर का आधार आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधानों के तहत नहीं आता है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण आदेश 7 नियम 11 से संबंधित है जो मूलतः इस प्रकार है

Rejection of plaint.- The plaint shall be rejected in the following cases:—

(a) where it does not disclose a cause of action;

(b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so;

(c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;

(d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;

(e) where it is not filed in duplicate;

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

(f) where the plaintiff fails comply with the provision of Rule 9.

Provided that the time fixed by the court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp papers shall not be extended unless the court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp papers, as the case may be within the time fixed by the court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में नोन जोईन्डर ऑफ पार्टीज का सिद्धान्त प्रकट नहीं होता क्योंकि प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 द्वारा पक्षकार मुकदमा बनाया जा चुका है। जिसे स्वीकार कर लिया।

इसी प्रकार मद संख्या 2 में वर्णित बिन्दुओं पर प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 पेश किया गया था जिसकी आपत्ति का निस्तारण आदेश–06 नियम 17 के स्वीकार के पश्चात निस्तारण हो चुका है।

प्रार्थी ने आदेश 7 नियम 11 प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 व 4 में कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर हाल 677 का ले आउट प्लान पास कर दिया है और आराजी नगर सुधार न्यास भरतपुर के नाम दर्ज हो चुकी है इस कारण राजस्व न्यायालय को वाद हाजा सुनने का अधिकार नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबंदी संवत् 2072–75 में आराजी मुतनाजा नगर सुधार न्यास भरतपुर के दर्ज रिकार्ड है। यहां भी उल्लेखनीय है कि वादी ने स्वयं अपने वादपत्र की मद संख्या 11 में अंकित किया है कि आराजी मुतनाजा नगर सुधार न्यास भरतपुर दर्ज रिकार्ड है। यह भी उल्लेखनीय है कि आदेश 7 नियम 11 के लिए वाद पत्र के अभिवचनों को पढा जाना चाहिए। इस प्रकरण में वादी ने भी आराजी को नगर सुधार न्यास के नाम दर्ज होना स्वीकार किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व दस्तावेजात व मौखिक साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में संलग्न दस्तावेजात से यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि दावा आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के अन्तर्गत विधि से वर्जित होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार योग्य है।

अतः आदेश हैः–

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त दावा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–07 नियम 11 के तहत स्वीकार किये जाने की श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीत होने के आधार पर सिविल–प्रकिया संहिता–1908 के आदेश–07 नियम 11 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 17.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भारती गुप्ता, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर